

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नई दिल्ली बेंच-5, नई दिल्ली के समक्ष (मूल न्यायाधिकरण क्षेत्र) कम्पनी याचिका सं. (सीएफ़) 82 (एनडी) का 2025 के सम्बंधित कम्पनी आवेदन सं. (सीएफ़) 79 (एनडी) का 2025 कम्पनी अधिनियम 2013 (18 अगस्त 2013) के मामले में, धारा 230 एवं 232 के मामले में

समामेलन की योजना के मामले में तथा निम्नलिखित के मामले में

याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कम्पनी इंडोसिस्टि बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड

याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरिति कम्पनी (दोनों कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम 1956 /2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। इनका पंजीकृत कार्यालय बी-230, ओखला औद्योगिक क्षेत्र बंगल-1, नई दिल्ली-110 020 पर स्थित है)

याचिका की सुनवाई की सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धाराओं 230 और 232, कम्पनियों (समझौता, व्यवस्था और समामेलेन) नियम, 2016, और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के तहत एक संयुक्त याचिका इंडो बेस्स प्राइवेट लिमिटेड के तथा इंडोसिस्टि बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की समामेलन की योजना को मंजूरी प्राप्त करने के लिए 4 दिवस, 2025 को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई थी और कवित लिमिटेड 11 फरवरी, 2026 को प्रति: 10-30 बजे माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच-5, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है। उक्त याचिका का सम्बन्ध अथवा विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अपनी आशय की सूचना, स्वयं या अपने अधिकाता द्वारा हस्ताक्षरित, अपने नाम तथा पते के साथ माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली बेंच-5, ब्लॉक नंबर 3, चारुड, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी मार्ग, नई दिल्ली-110 003 अथवा याचिकाकर्ताओं अधिकाता को सूचित करे, ताकि यह नोटिस बेंच अथवा याचिकाकर्ताओं के अधिकाता के पास, सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि के कम से कम 2 दिन से पहले पहुंचे। यदि कोई याचिका के प्रतिवाद हेतु इच्छुक हो तो विरोध के आभार अथवा साथपात्र की एक प्रति इस नोटिस के साथ प्रस्तुत करे। याचिका की एक प्रति ओहोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित मुक्त के भुगतान करने पर प्रस्तुत की जाएगी।

हस्ताक्षर कार्लिगेस मोगन, अध्यक्ष **कृते राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स** याचिकाकर्ताओं के अधिकाता 785, पॉकेट-ई, मयूर विहार-II, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे /एनएच-9, दिल्ली 110 091 ई-मेल: in@rgalegal.in, वेबसाइट: www.rgalegal.in

 ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : ओडिशा स्थित, 4वीं मंजिल, पुरानी केकरा बाजार, आर.जी. मइकरी चौक, उदर (पश्चिम), मुम्बई-400028 दूरभाष: 022-6923111/9833546349/8879093790	
(पंरिशिट-IV-A) [नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें]	
अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना	
प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम ९(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विवरण सूचना	
एतद्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार (रें)/सह- कर्जदार (रें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभाति नीचे वर्णित अचल संपत्ति, पर समान कैपिटल लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कच्चा कर लिया है।	
इसके अलावा, ओमकारा पीएम 22/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओआरपीएल) ने दिनांक 29.03.2025 के आगामनेट सभावेत के माध्यम से समान कैपिटल लिमिटेड (इंडिआल्यूल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) आगमन से अर्न्तनिहित पुरखा सहित संपूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। तदनुसार, ओआरपीएल बकाया व्यस्तुलेन और प्रतिभूतियों को लागू करने का अधिकारी है। नीचे उल्लिखित कर्जदार/गारंटरी/सहकर्ताओं से प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में ओआरपीएल में को 06.01.2026 तक बकाया जमा र. 33,46,157/- (रुएक तैसीस लाख पचासीस हजार एक सौ सत्तावन मात्र), भावी व्याज एवं प्रभार सहित 07.01.2026 तक, को मंजूरी देते, "जहां है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" और "आग्रह रहित आधार पर" पर की जायेगी। संपत्तिों की विक्री सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शर्तियों का प्रयोग करते हुए की जाएगी।	
संबंधित संपत्ति का आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित है।	

क्र. सं.	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	कर्जदार/ सह-कर्जदार
1.	कूटि नं. जीएफ-एरआर-06वीं, भुवने, अलग पक्का कमरेवाला, विमान, सी.एस. हसनपुर, मीरपुर, गाजियाबाद, पन्ना प्रदेश-201012 निर्दिष्ट क्षेत्रफल: 455 वर्ग फुट	रु. 32,50,000/-	3,25,000/-	पैन पीएस इंडीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार) सुमित अग्रवाल (सह-कर्जदार)
सांख्यिक सुविधा संख्या		रु. 50,000/-		
निविदाण की तिथि एवं समय		17 जनवरी 2026		
भागीदारी पर/क्यासीस दस्तावेज/इएचडी के प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय		9 फरवरी 2026 को 4:00 बजे अप. तक		
नीलामी की तिथि		10 फरवरी 2026, 12:00 बजे अप. से 1:00 बजे अप.		
ज्ञात देयताएं		न्यून		

जहां नीलामी ओआरपीएल द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। योली जमा करने की अंतिम तिथि (ऑनलाइन एवं भीतिक प्रति दोनों में) तथा ईएमडी (ट्रीडीपे ऑर्डर अथवा एनएफएटी/आरटीजीएल के माध्यम से भुगतान) 9 फरवरी 2026 को 4:00 बजे अप. तक है। योली जमा करने समय, योलीदाता को दिखाना सहित, 2016 की धारा 29(र) के अनुसार हलकनमा प्रस्तुत करना होगा। हलकनमा प्रस्तुत न करने पर योली रद्द कर दी जाएगी। विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया <https://omkaraarc.com/auction.php> पर दिए गए लिंक को देखें।

जिस इच्छुक योलीदाताओं ने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बचाने, डेटा अपलोड करने, योली जमा करने, ई-योली प्रक्रिया पर प्रतिभाग आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मेसर्स सी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड", देलीकोड हेल्पलाइन: +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ईमेल आईडी: support@bankauctons.in, से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए, कार्यालय समय एवं कार्यालयों में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता से संपर्क करें: +91 9833546349, ईमेल: rajendra.bhosale@omkaraarc.com पर संपर्क करें। विफल रहने पर योली रद्द कर दी जाएगी।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत विक्री हेतु वैधानिक नोटिस। यह नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार (रें) को 30 (तीस) दिनों का एक अतिरार नोटिस भी है, जिसमें उन्ने उपरोक्त संबंधित तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/विक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है, तथा हो यह सत्यता भी दी जाती है कि यदि वे चाहें तो सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (8) के प्रावधानों के अनुसार व्याज, लागत और व्यय सहित ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करने के अतिरार को विनियमित कर लें। भुगतान में चुक की स्थिति में, संबंध प्राधिकृत व्यक्ति के विवेक पर होगी। अधिकारों/प्रतिभूत लेनदार को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा नहीं जा सकता।

दिनांक: ०9.01.2026 हस्ता./- स्थान: मुम्बई प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएम 22/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : ओडिशा स्थित, 4वीं मंजिल, पुरानी केकरा बाजार, आर.जी. मइकरी चौक, उदर (पश्चिम), मुम्बई-400028 | दूरभाष: 022-6923111/9833546349/8879093790

(पंरिशिट-IV-A) [नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम ९(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विवरण सूचना

एतद्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार (रें)/सह- कर्जदार (रें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभाति नीचे वर्णित अचल संपत्ति, पर **समान कैपिटल लिमिटेड** के प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कच्चा कर लिया है। तदनुसार, ओआरपीएल बकाया व्यस्तुलेन और प्रतिभूतियों को लागू करने का अधिकारी है। नीचे उल्लिखित कर्जदार/गारंटरी/सहकर्ताओं से प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में ओआरपीएल में को 06.01.2026 तक **बकाया जमा** र. 22,85,301/- (**रुएक बाईस लाख पचासी हजार एक सौ तीस मात्र**), भावी व्याज एवं प्रभार सहित 07.01.2026 तक, को मंजूरी देते, "जहां है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" और "आग्रह रहित आधार पर" पर की जायेगी। संपत्तिों की विक्री सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शर्तियों का प्रयोग करते हुए की जाएगी।

संबंधित संपत्ति का आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित है।

क्र. सं.	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	कर्जदार/ सह-कर्जदार
1.	प्लेट संख्या यूजी 4, ऊपरी भूतल, भाई और, प्लेट संख्या बी-81, इंदौरकल विमान, एयरबेस-II, गाजियाबाद, पन्ना प्रदेश क्षेत्रफल: 257 वर्ग फुट	रु. 16,50,000/-	1,65,000/-	राजकुमार शर्मा (कर्जदार) ललित (सह-कर्जदार) योगेश कुमार (जमानती)
सांख्यिक सुविधा संख्या		रु. 25,000/-		
निविदाण की तिथि एवं समय		20 जनवरी 2026		
भागीदारी पर/क्यासीस दस्तावेज/इएचडी के प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय		9 फरवरी 2026 को 4:00 बजे अप. तक		
नीलामी की तिथि		10 फरवरी 2026, 3:00 बजे अप. से 4 बजे अप.		
ज्ञात देयताएं		न्यून		

जिस इच्छुक योलीदाताओं ने ईएमडी जमा कर दी है और जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बचाने, डेटा अपलोड करने, योली जमा करने, ई-योली प्रक्रिया पर प्रतिभाग आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मेसर्स सी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड", देलीकोड हेल्पलाइन: +91-7291981124/25/26, हेल्पलाइन ईमेल आईडी: support@bankauctons.in, से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए, कार्यालय समय एवं कार्यालयों में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता से संपर्क करें: +91 9833546349, ईमेल: rajendra.bhosale@omkaraarc.com पर संपर्क करें। विफल रहने पर योली रद्द कर दी जाएगी।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत विक्री हेतु वैधानिक नोटिस।

यह नोटिस प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार (रें) को 30 (तीस) दिनों का एक अतिरार नोटिस भी है, जिसमें उन्ने उपरोक्त संबंधित तिथि और समय पर ई-नीलामी के माध्यम से नीलामी/विक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है, तथा हो यह सत्यता भी दी जाती है कि यदि वे चाहें तो सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (8) के प्रावधानों के अनुसार व्याज, लागत और व्यय सहित ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करने के अतिरार को विनियमित कर लें। भुगतान में चुक की स्थिति में, संबंध प्राधिकृत व्यक्ति के विवेक पर होगी। अधिकारों/प्रतिभूत लेनदार को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा नहीं जा सकता।

दिनांक: 09.01.2026 हस्ता./- स्थान: मुम्बई प्राधिकृत अधिकारी, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएम 22/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत)

टाइमैक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड
सीआईएन : L33301DL1988PLC033434
पंजीकृत कार्यालय : ई-10, निम्न मू, लालजत निगम-III, नई दिल्ली- 110024, दूरभाष : 91-120-4741300, ईमेल : investor.relations@timex.com, **वेबसाइट** : www.timexindia.com

शेयर प्रमाणपत्र(नॉ) के हस्तांतरण की सूचना एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निम्नलिखित इन्विटी शेयरों से संबंधित शेयर प्रमाणपत्र(नॉ) को उक्त इन्विट शेयरों के क्रेता(ओं) द्वारा अपने संबंधित नाम(नी) में हस्तांतरण हेतु हस्तांतरण विलेख(ओं) के साथ जमा कर दिया गया है, जिसे सेवा के **परिचय सं SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 2 जुलाई 2025 के अनुसार 7 जुलाई 2025 से 6 जनवरी 2026 तक छह महीने की एकावधि के लिए उपलब्ध कराई गई विशेष विंडो के अंतर्गत जमा किया गया है।**

क्र. सं.	फोलियो नं	पंजी शेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र सं.	डिस्टि नं.	शेयर की संख्या	एचडी (रु.)
1.	एर30290	एलजीटी एसेट मैनेजमेंट खाता जीटी इंडियन स्मॉल कंपनीज फंड (मीरिटर) लिमिटेड	56987	3546101-3546200	100	1/-
2	आई26001	इगामा कंगालीपुर अमीबा /शांता अमीबा/ जी की इारकनका	42061	15062895-15062994	100	1/-

उपरोक्त शेयरों के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा रखने वाले व्यक्ति(यों) से अनुरोध है कि वे वैध दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ लिखित रूप में ऐसी आपत्ति या दावा रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट, अलंकिट **असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकिट हाउस, 44ई/2, इंड्रेवालन एक्सप्रेसवेन, नई दिल्ली -110055, दूरभाष : 23541234 / 42541234, फ़ैक्स : 41543474, या कंपनी के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर दर्ज कराए।** यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई आपत्ति या दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी/रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट बिना किसी भावी सूचना के उक्त शेयरों का हस्तांतरण आवेदक(कों) / खरीदार(रों) के पक्ष में संपन्न कर देंगे।

कृते टाइमैक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
वीरज कुमार मगो
उपाध्यक्ष – कानूनी, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

एलआईसी हाउसिंग फाइनंस लिमिटेड
बैंक ऑफिस: लक्ष्मी इश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110002

 एलआईसी हाउसिंग फाइनंस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : दिल्ली स्थित, 4वीं मंजिल, पुरानी केकरा बाजार, आर.जी. मइकरी चौक, उदर (पश्चिम), मुम्बई-400028 दूरभाष: 022-6923111/9833546349/8879093790	
(पंरिशिट-IV-A) [नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें]	
अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना	
प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम ९(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विवरण सूचना	
एतद्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार (रें)/सह- कर्जदार (रें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभाति नीचे वर्णित अचल संपत्ति, पर समान कैपिटल लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कच्चा कर लिया है।	
इसके अलावा, ओमकारा पीएम 22/2024-25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओआरपीएल) ने दिनांक 29.03.2025 के आगामनेट सभावेत के माध्यम से समान कैपिटल लिमिटेड (इंडिआल्यूल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) आगमन से अर्न्तनिहित पुरखा सहित संपूर्ण बकाया ऋण का अधिग्रहण कर लिया है। तदनुसार, ओआरपीएल बकाया व्यस्तुलेन और प्रतिभूतियों को लागू करने का अधिकारी है। नीचे उल्लिखित कर्जदार/गारंटरी/सहकर्ताओं से प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में ओआरपीएल में को 06.01.2026 तक बकाया जमा र. 33,46,157/- (रुएक तैसीस लाख पचासीस हजार एक सौ सत्तावन मात्र), भावी व्याज एवं प्रभार सहित 07.01.2026 तक, को मंजूरी देते, "जहां है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" और "आग्रह रहित आधार पर" पर की जायेगी। संपत्तिों की विक्री सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शर्तियों का प्रयोग करते हुए की जाएगी।	
संबंधित संपत्ति का आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित है।	

संपत्ति 1 – उधारकर्ता(ओं) का नाम – श्री दीपक बंसल (आवेदक), सुश्री सुनेता और श्री कमल (गारंटर)
ऋण संख्या: 312300001966

 एलआईसी हाउसिंग फाइनंस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : दिल्ली स्थित, 4वीं मंजिल, पुरानी केकरा बाजार, आर.जी. मइकरी चौक, उदर (पश्चिम), मुम्बई-400028 दूरभाष: 022-6923111/9833546349/8879093790	
(पंरिशिट-IV-A) [नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें]	
अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना	
प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम ९(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विवरण सूचना	
एतद्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार (रें)/सह- कर्जदार (रें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभाति नीचे वर्णित अचल संपत्ति, पर समान कैपिटल लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कच्चा कर लिया है। तदनुसार, ओआरपीएल बकाया व्यस्तुलेन और प्रतिभूतियों को लागू करने का अधिकारी है। नीचे उल्लिखित कर्जदार/गारंटरी/सहकर्ताओं से प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में ओआरपीएल में को 06.01.2026 तक बकाया जमा र. 33,46,157/- (रुएक तैसीस लाख पचासीस हजार एक सौ सत्तावन मात्र), भावी व्याज एवं प्रभार सहित 07.01.2026 तक, को मंजूरी देते, "जहां है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" और "आग्रह रहित आधार पर" पर की जायेगी। संपत्तिों की विक्री सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शर्तियों का प्रयोग करते हुए की जाएगी।	
संबंधित संपत्ति का आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित है।	

संपत्ति 1 – उधारकर्ता(ओं) का नाम – श्री दीपक बंसल (आवेदक), सुश्री सुनेता और श्री कमल (गारंटर)
ऋण संख्या: 312300001966

 एलआईसी हाउसिंग फाइनंस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : दिल्ली स्थित, 4वीं मंजिल, पुरानी केकरा बाजार, आर.जी. मइकरी चौक, उदर (पश्चिम), मुम्बई-400028 दूरभाष: 022-6923111/9833546349/8879093790	
(पंरिशिट-IV-A) [नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें]	
अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना	
प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम ९(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विवरण सूचना	
एतद्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार (रें)/सह- कर्जदार (रें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभाति नीचे वर्णित अचल संपत्ति, पर समान कैपिटल लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कच्चा कर लिया है। तदनुसार, ओआरपीएल बकाया व्यस्तुलेन और प्रतिभूतियों को लागू करने का अधिकारी है। नीचे उल्लिखित कर्जदार/गारंटरी/सहकर्ताओं से प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में ओआरपीएल में को 06.01.2026 तक बकाया जमा र. 33,46,157/- (रुएक तैसीस लाख पचासीस हजार एक सौ सत्तावन मात्र), भावी व्याज एवं प्रभार सहित 07.01.2026 तक, को मंजूरी देते, "जहां है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" और "आग्रह रहित आधार पर" पर की जायेगी। संपत्तिों की विक्री सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शर्तियों का प्रयोग करते हुए की जाएगी।	
संबंधित संपत्ति का आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित है।	

 एलआईसी हाउसिंग फाइनंस लिमिटेड कॉर्पोरेट कार्यालय : दिल्ली स्थित, 4वीं मंजिल, पुरानी केकरा बाजार, आर.जी. मइकरी चौक, उदर (पश्चिम), मुम्बई-400028 दूरभाष: 022-6923111/9833546349/8879093790	
(पंरिशिट-IV-A) [नियम ९(1) के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें]	
अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना	
प्रतिभूति हित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम ९(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की विक्री हेतु ई-नीलामी विवरण सूचना	
एतद्वारा जनसामान्य तथा विशेष रूप से कर्जदार (रें)/सह- कर्जदार (रें) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभाति नीचे वर्णित अचल संपत्ति, पर समान कैपिटल लिमिटेड के प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कच्चा कर लिया है। तदनुसार, ओआरपीएल बकाया व्यस्तुलेन और प्रतिभूतियों को लागू करने का अधिकारी है। नीचे उल्लिखित कर्जदार/गारंटरी/सहकर्ताओं से प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में ओआरपीएल में को 06.01.2026 तक बकाया जमा र. 33,46,157/- (रुएक तैसीस लाख पचासीस हजार एक सौ सत्तावन मात्र), भावी व्याज एवं प्रभार सहित 07.01.2026 तक, को मंजूरी देते, "जहां है जैसे है", "जो है वही है" तथा "जो कुछ भी है वही है" और "आग्रह रहित आधार पर" पर की जायेगी। संपत्तिों की विक्री सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त अधिकारों और शर्तियों का प्रयोग करते हुए की जाएगी।	
संबंधित संपत्ति का आरक्षित मूल्य और जमा धरोहर राशि नीचे संबंधित कॉलम में उल्लिखित है।	

संपत्ति 1 – उधारकर्ता(ओं) का नाम – श्री दीपक बंसल (आवेदक), सुश्री सुनेता और श्री कमल (गारंटर)
ऋण संख्या: 312300001966

सम्पर्क व्यक्ति: श्री नवान कुमार सिंह	सम्पर्क विवरण: मो. 9891392661
संपत्ति 2 – उधारकर्ता(ओं) का नाम – श्री शिव मग्गो (आवेदक) और श्री नितिन बहल (गारंटर) ऋण संख्या: 312300003936	
सम्पत्ति का पता:	